—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 26/2024

उनवान

बसराम दत्तक पुत्र घीसा जाईन्दा पुत्र देवा जाति जाट निवासी ग्राम कदमपुरा, नसीराबाद
——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. उंकार पुत्र सुखा
2. शैतान पुत्र उंकार समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कदमपुरा, नसीराबाद
3 मैनेजर, भारतीय स्टेट बेंक शाखा तिहारी, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 2 जरियें अधिवक्ता श्री मौ. वसीम
4 जरियें राज. पैरोकार, 3 अनुपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 19.3.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कदमपुरा के खाता संख्या 17/18 किता 43 रकबा 25.02 की आराजी वादी के दत्तक पिता की खातेदारी/काश्तकारी की है। वादी के दत्तक पिता का स्वर्गवास दिनांक 01.06.2021 को हो चुका है। इसके उपरान्त भी उक्त आराजी वादी के दत्तक पिता के नाम दर्ज चली आ रही है। वादी के दत्तक पिता स्वर्गीय घीसा पुत्र सुखा ने अपने जायन्दा पुत्र की प्राप्ति नही होने पर वादी बसराम को हिन्दु रिति रिवाजों से गोद लिया तथा गोदपत्र दिनांक 08.01.2015 को उप पंजीयक, नसीराबाद से निषपादित करवाया। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी के दत्तक पिता के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी।

1. आया वादी घीसा पुत्र सुखा का दत्तक पुत्र होने के कारण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी
   प्राप्त करने का अधिकारी है ?
2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य व अभिलेख पेश किये। व साक्ष्य नही पेश बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:12 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किया। ग्राम कदमपुरा के खाता संख्या 17/18 किता 43 रकबा 25.02 की आराजी घीसा पुत्र सुखा वादी बसराम पुत्र घीसा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी में हैं। मूल खातेदार घीसा पुत्र सुखा ने जरियें पंजीबद्व गोदनामा वादी को गोद लिया था। उक्त दस्तावेज पंजीबद्व है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में स्वीकोक्ति का जवाब पेश किया है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वाद के खण्डन के कोई तथ्य पत्रावली पर नही है। घीसा पुत्र सुखा के खातेदारी आराजी मे से कुछ नम्बर छोडकर शेष समस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम रहन दर्ज है। किन्तु वादी का नाम उक्त आराजी पर गोदपुत्र की हैसियत से आना है। वादी घीसा का दत्तक पुत्र होने के कारण घीसा द्वारा लिये गये ऋण की राशि प्रतिवादी संख्या 3 को अदा करने का भार वादी पर ही हैं। बैंक रहन का इन्द्राज भी वादी के नाम रहेगा। अतः वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

उक्तानुसार ग्राम कदमपुरा के खाता संख्या 17/18 किता 43 रकबा 25.02 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। घीसा पुत्र सुखा के हिस्से की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता हैं। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर))

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

बसराम बनाम उंकार

दावा बाबत :– 88, 188. 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 26/2024
पेश करने की दिनांक – 19.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रविन्द्र शर्मा मुद्दई मौ. वसीम व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कदमपुरा के खाता संख्या 17/18 किता 43 रकबा 25.02 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। घीसा पुत्र सुखा के हिस्से की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता हैं। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 3 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:12 IST
Reason: SelfAttested